



इस पत्र का उत्तर मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश जी.डी.सी. के पते पर भेजना चाहिये, किसी अधिकारी के नाम से नहीं। उत्तर देते समय इस पत्र की सं. और दिनांक दी जानी चाहिये।
Any reply to this letter should be addressed to the Meghalaya & Arunachal Pradesh GDC, not to any officer by name. The No. & date of this letter should be quoted.

नेमी आदेश सं. (प्रशासनिक), दिनांक जुलाई, 2022
ROUTINE ORDER NO. 08 (ADM) DATED 07 JULY, 2022

- I. अधिकारी सर्वेक्षक के पद पे नियमित आधार पर पदोन्नति।
PROMOTION TO THE POST OF OFFICER SURVEYOR ON REGULAR BASIS.

निचे दिए गए सर्वेक्षकों को नियमित आधार पर अधिकारी सर्वेक्षक (एसजी के पत्र संख्या- 2425/707 (Coll.74) के अनुसार दिनांक 30-07-2020) जिसका वेतन-स्तर 8 तथा वेतन मैट्रिक्स (44,900 - 142,400) होगा, के पद पे पदोन्नति का प्रभाव उनके नाम के आगे दिए गए दिनांक से प्रभाव में आएगी।

The under mentioned Surveyors are hereby promoted to the post of Officer Surveyor [as per SG's letter No. C- 1384/707 (Coll.78) dated 03-03-2022] on regular basis in the level -8 of Pay Matrix (Rs 47,600- Rs. 1,51,100) with effect from the date as shown against his names.

Sl. No.	Name & Designation	Designation	Date of Promotion
1.	Shri Shyam Rajak	Officer Surveyor	01-06-2022

उपर दिए गए अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वो विकल्प FR.22(1) (a)(1) के अंतर्गत प्रयोग में लायेंगे ताकि उनका वेतन नए स्तर पे निर्धारित किया जा सके।

उल्लेखित अधिकारी से लंबित न्यायालयीन मामले के परिणाम के लिए वचन पत्र लिया जाएगा और स्थापना और लेखा अधिकारी / गोपनीय अनुभाग द्वारा सेवा पंजिका में चिपकाया जाएगा।

उपर दिए गए अधिकारियों का वेतन कार्यालय के प्रमुख द्वारा निश्चित किया जायेगा।

The above officers are required to exercise an option under FR.22(1) (a)(1) for fixation of their pay in the new scale of Pay.

An undertaking for outcome of pending court case mentioned therein, will be taken from the Officer concerned and pasted in the Service Book, by E & A.O./ C- Section.

Pay of the above officers will be fixed by the Head of Office.

एम. ए. सी. पी. के अंतर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन

2. **GRANT OF THIRD FINANCIAL UPGRADATION UNDER MACP SCHEME.**

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या - 35034/3/2008- स्था. (डी.) दिनांक 19-05-2009 (विज्ञान एवं प्राद्योगिकी विभाग का पत्र सं A-11019/1/2008-सीडीएन दिनांक 08-06-2009 द्वारा प्राप्त) और डीएसटी का पत्र संख्या एसएम/02/02/2021 दिनांक 25.08.2021 के अनुसार निचे दर्शाए गए मेघालय एवं अरु. प्र. जीडीसी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ग्रुप 'B' गैर राजपत्रित (मिनिस्टीरियल) कर्मचारियों को एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन तथा मैट्रिक्स स्तर-6 में निर्धारण करने की स्वीकृति दी जाती है और ये उन कर्मचारी के नाम के आगे दर्शाए गए दिनांक से प्रभावित होगी।

In pursuance of the instructions contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No-35034/2008-Estt. (D) dated 22.10.2019 and DST's letter No. SM/02/02/2021 dated 25.08.2021. The under mentioned employee is granted Third Financial Up gradation under the MACP scheme for the Central Government Civilian Employee in the pay matrix level-6 with effect from the date as indicated below.

Sl. No.	Name	Designation	Date from which 3rd Financial Up gradation is admissible
1.	Late Mirphorline Nongbri	Assistant	11-04-2021

उपरोक्त अधिकारियों को पदोन्नति पर नई वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिए एफ. आर.22 (1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा।

उपर दिए गए अधिकारियों का वेतन कार्यालय के प्रमुख द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

The above officers are required to exercise an option under FR.22(1) (a)(1) for fixation of their pay in the new scale of Pay.

Pay of the above officers will be fixed by the Head of Office.

(Authority:- SG's letter No. C-2828/1902-MACP (Miniterial III) dated 10-05-2022)

2. GRANT OF THIRD FINANCIAL UPGRADATION UNDER MACP SCHEME.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या - 35034/3/2008- स्था. (डी.) दिनांक 19-05-2009 (विज्ञान एवं प्राद्योगिकी विभाग का पत्र सं A-11019/1/2008-सीडीएन दिनांक 08-06-2009 द्वारा प्राप्त) के अनुसार निचे दर्शाए गए मेघालय एवं अरु. प्र. जीडीसी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ग्रुप 'B' गैर राजपत्रित (मिनिस्टीरियल) कर्मचारियों को एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन तथा मैट्रिक्स स्तर-7 में निर्धारण करने की स्वीकृति दी जाती है और ये उन कर्मचारी के नाम के आगे दर्शाए गए दिनांक से प्रभावित होगी।

The undermentioned Group 'C' (MTD Grade I) staff of Meghalaya & Ar. P. GDC, Survey of India, Shillong are hereby granted 3rd Financial Upgradation under MACP Scheme for Central Govt. Employees in the **Pay Matrix /Level 6** with effect from the date shown against them in accordance with the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension (Dept. of Personnel & Training) O.M. Nos. 35034/3/2008-Estt. (D) dated 19-05-2009 & 35034/3/2015-Estt. (D) dated 22-10--2019 (Department of Science & Technology letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009).

Sl. No.	Name	Designation	Date from which 3rd Financial Upgradation is admissible
1.	Shri Shiba Kharderwsaw	MTD Grade-I	16-11-2019
2.	Shri Shngain Singh Bareh	MTD Grade-I	02-01-2022

उपरोक्त अधिकारियों को पदोन्नति पर नई वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिए एफ. आर.22 (1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा।

उपर दिए गए अधिकारियों का वेतन कार्यालय के प्रमुख द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

The above officers are required to exercise an option under FR.22(1) (a)(1) for fixation of their pay in the new scale of Pay.

Pay of the above officers will be fixed by the Head of Office.

(Authority:- SG's letter No. C-3530/1902-MACP (MTD) dated 24-06-2022)

3. Cash handling allowance to cashier
रोकडिया को नगदी संभालने का भत्ता:-

भारत साकर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नड दिल्ली के पत्र सं. 14/3/78-SMPS-1, दिनांक 28.03.1978 और भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली (कार्मिक एवं प्रशिक्षण) के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/6/20008-स्थापना (वेतन- II) दिनांक 01.10.2008 एवं कार्यालय ज्ञापन सं. 4/6/2017-Estt.(Pay-II) दिनांक 18.01.2019 के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाये गये विवरणानुसार रोकडिया का कार्य करने के लिए नकदी वितरण भत्ता स्वीकृत किया जाता है :-

Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, New Delhi (Personnel & Training) OM No. 4/6/20008-Estt. (Pay-II) dated 01.10.2008 and O.M. No. As per 4/6/2017-Majn(chll.app) dated 18.01.2019 and DST's Letter no. 14/3/78.-SMPS-1, dated 28.03.1978, cash distribution allowance is sanctioned to the following employees for doing cashier work as per the details shown against their name:

क्रम संख्या	नाम व पदनाम	अवधि	भत्ते की राशि	भुगतान होने वाली औसत राशि
1	श्री नारायण राम सहायक	01.04.2022 31.03.2023	रु 700 /- प्रतिमाह	रु 40,000 /-

रंजन नेगी

कर्नल रंजन नेगी
निदेशक,
मेघालय एवं अरु. प्रदेश जी.डी.सी.

Distribution:-

1. The Surveyor General of India, Dehra Dun for information please.
2. The Addl. S.G., NEZ, Shillong for information, please.
3. The Accounts Officer, RP&AO, Kokata for information and necessary action, please.
4. The Website In-charge, Survey of India website (Kaushal Kishore Shukla <adm.n.soi@gov.in>) with a request to publish on SOI website, please.
5. E.&A.O for information and necessary action, please.
6. File: 37-G-9/8-N/4-F-12/4-F-10/ 2-B-4 (Rules)